the cryogenic stage in India. Consequent upon GLAVKOSMOS invoking the force majeure clause in the agreement in October, 1993, as the result of geo-political developments, the said agreement was renegotiated and modified in March 1994 deleting technology transfer and training.

(c) Consequent to the renegotiation of the cryogenic technology agreement with Russia, Government has approved in April 1994, the development of indigenous Cryogenic Upper Stage (CUS) Project at a total cost of Rs. 335.89 crores. The project envisaged the establishment of the necessary infrastructure and the development, qualification and supply of two flightworthy cryogenic stages which include the cryogenic engines. The first flightworthy stage, including the engine, is expected to be developed by 1998-99.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जासूसी षड्यंत्र में केरल के पुलिस महानिरीक्षक की लिप्तता

1662. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन जासूसी कांड में केरल के पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ चल रही जांच को रोकने के लिए उच्चतर स्तर पर सरकारी आदेश जारी किए गए थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के स्थानीय अधिकारियों को केन्द्रीय अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि ऊपरी आदेश के बिना किसी को भी गिरफ्तार न करें; और

(ग) यदि हां, तो देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किए जाने के क्या कारण है और यदि नहीं, तो किस कारण में इस जासूसी कांड में लिप्त पाये गए/पकड़े गए व्यक्तियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का बयान अलग-अलग समय पर भिन्न रहा है जिनमें यह मामला कमजोर पड़ता है जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को बताया है कि यह जासूसी कांड देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Re. Demand to defer discussion on Patents (Amendments) Bill, 1995

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : मैडम्, बताइए क्या निर्णय हो रहा है?

उपसभापति : निर्णय यह है... (व्यवधान)

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, आज के लिस्ट आफ बिजनेस में एक आईटम है कि अरूणाचलम साहब पेटन्ट (अमेंडमेंट) बिल, 1995 लाना चाहते हैं । मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इसको डैफर किया जाए और मौका दिया जाए इस बात का कि हम बातचीत कर सकें ।

†[ ]Transliteration in Arabic script.